संख्या-27/2023/I/324708/2023/002-71-4099-36-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वेविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 31 मई, 2023**

विषयः- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वनविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तंर्गत पैरामेडिकल इंस्टीतट्यूट हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के पत्र संख्या-359/ई/यूपीयूएमएस/748-सीडी/2023-24 , दिनांक 13-05-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वनविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तंर्गत पैरामेडिकल इंस्टीतट्यूट हेतु वित्तीय वर्ष-2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष एम०सी०आई० मानको को पूर्ण किये जाने एवं संस्थान के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी गयी सूची को अनुमोदित करते हुए उपकरणों (उपकरणों की अनुमोदित सूची संलग्न), को क्रय किये जाने हेतु रू० 1,00,00,000.00 (रूपया एक करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि को वर्तमान वित्तीपय वर्ष 2023-24 में ही व्यय कर लिया जायेगा।

(2) धनराशि का आहरण तभी किया जाएगाए जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा कर ली जाये।

(3) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखा जायेगा।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-17.03.2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

(5) उपकरणों का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 5 भाग-1 उ0प्र0 प्रक्योरमेन्ट मैनुअल एवं उद्योग विभाग द्वारा समय समय पर जारी होने वाले क्रय संबंधी आदेशों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा। भण्डार क्रय संबंधी नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव/वित्त अधिकारी/संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

(7) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।

(8) संबंधित उपकरण/संयंत्र की क्रय प्रक्रिया में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेन्डरिंग प्रणाली से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) क्रय किये जाने वाले उपकरण चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत उपकरणों के क्रय संबंधी विभिन्न शासनादेशों के अनुसार ही उपकरण क्रय किये जाएगें।

(10) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा।

(11) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(12) दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियां न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों का यथासम्भव समावेश किया जाए।

(13) वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत-सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(14) क्रय किये जाने वाले उपकरण विश्वविद्यालय विभागवार अति आवश्यकता एवं एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार ही उपकरणों का क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।

(15) धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वरविद्यालय सैफई, इटावा द्वारा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

(16) क्रय किये जा रहे उपकरणों के आडिट का उत्तरदायित्व कुलसचिव, विश्वाविद्यालय का होगा।

(17) विश्वकविद्यालय द्वारा उपकरणों की सूची में उल्लिखित जो उपकरण रू0 50.00 लाख से अधिक के है, को एच0एल0पी0सी0 के माध्यम से तथा 1.00 करोड़ से अधिक के उपकरण एच0एच0टी0सी0 के माध्यरम से क्रय किये की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(18) उपकरणों को सुसंगत नियमों के तहत गुणवत्ता के साथ पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए युक्ति संगत दरों पर क्रय किया जाय तथा उपकरणों का Specification गुणवत्ता/आवश्यकता/उपयोगिता सुनिश्चित करने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ तथा विश्वुविद्यालय के कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050800 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च सैफई, इटावा में पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्विद्यालय सैफई, इटावा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्ता (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. नोडल अधिकारी/ संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-27/2023/I/324708/2023/002-71-4099-36-2021, दिनांक-31.05.2023 का संलग्नक

उपकरणों की सूची

PARAMEDICAL COLLEGE

Required Equipment for Financial Year 2023-24

S No.	List of equipment		Number	Per unit price	Approximate cost
1	**Faculty of Paramedical Sciences**				
A	**Medical Lab Technologies**				
	1	Gel Electrophoresis	1	3.00	**3.00**
	2	Histopathology Grossing Station	1	6.00	**6.00**
	3	Slide Storage Cabinet	4	0.5	**1.00**
	4	Miscellaneous		3.00	**3.00**
		Total			**13.00**
B	**Optometry**				
	1	Portable hand held (Non-contact) tonometer	2	1.75	**3.50**
	2	vision Screener	2	6.0	**12.00**
	3	Portable auto refractor	2	3.0	**6.00**
	4	Miscellaneous		3.0	**6.00**
		Total			**27.50**
C	**Physiotherapy**				
	1	Mannequin for CPR training	2	0.10	**0.20**
	2	Hand evaluation kit	2	0.45	**0.90**
	3	Dynamometer (Back, leg and chest)	2	0.30	**0.60**
	4	Sensory integration kit	2	0.0650	**0.13**
	5	Body composition analyzer	1	0.10	**0.10**
	6	Standing Frame	2	0.10	**0.20**
	7	Miscellaneous	-	1.00	**1.00**
		Total			**3.13**
2	**Faculty of Pharmacy**				
	1	Muffle Furnace	2	0.70	**1.40**
	2	Hot air oven	1	0.50	**0.50**
	3	Thin Layer Chromatography kit (Complete set)	10	0.20	**2.00**
	4	UV Fluorescence Chamber (for TLC)	2	0.30	**0.60**
	5	Camera Lucida attached with compound Microscope (Make: Olympus)	10	0.60	**0.60**
	6	Split AC (2 Ton)	2	0.55	**1.10**
	7	FTIR Hydraulic Press	1	0.40	**0.40**
	8	Melting Point Apparatus	10	0.03	**0.30**
	9	Melting Point Apparatus-Digital, automatic	1	2.00	**2.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	10	Bench top fume exhaust unit	1	1.50	**1.50**
	11	Rotary evaporator – Buchi	1	3.50	**3.50**
	12	12 punches single unit rotary tables machine	1	6.00	**6.00**
	13	Tablet making machine – hand operated	1	0.40	**0.40**
	14	Ex pharm (Experimental pharmacology) series software	1	0.30	**0.30**
	15	Digital Balane	2	0.015	**0.29**
	16	Hot Plate	2	0.025	**0.05**
	17	Magnetic Beads	4	0.004	**0.016**
	18	Magnetic Stirrer	2	0.06	**0.012**
	19	Regrigerator	1	0.38	**0.38**
	20	pH Meter	4	0.011	**0.44**
	21	Sling psychrometer (wet and dry bulb thermometer)	60	0.007	**0.42**
		Total			**22.21**
3		Miscellaneous			**34.16**
		Total			**34.16**
		Grand Total (1 to 3)			**100.00**

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।